71

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1025-तीन/2009 - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-7-2009 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 502/1999-2000 अपील

रामानन्द पुत्र भगवत सोनी
निवासी गुढ़ तहसील गुढ़
जिला रीवा मध्य प्रदेश -----आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- चिंतामणि (मृत) पुत्र सखाराम ब्राहमण
वारिस
अ- बृजमोहन प्रसाद पुत्र स्व. चिंतामणि
ब- बंशमणि प्रसाद पुत्र स्व.चिंतामणि
स- बालमुणिप्रसाद पुत्र स्व. चिंतामणि
द- श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व.चिंतामंणि
सभी निवासी गुढ़ तहसील गुढ जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)
(अनावेदकगण 2 के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदक 1 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 08 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 502/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 10 अ-68/99-2000 में पारित आदेश दिनॉक 22-6-2000 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 502/ 1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-2009 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 14-7-2009 के विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28-9-17 को अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 (2) सहपठित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के शपथ पत्र सहित आवेदन दिया है, जिस पर उभय पक्ष को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक क्र-2 के वारिसान के अभिभाषक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 (2) सहपठित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि तत्समय नियुक्त अभिभाषक को आवेदक की मृत्यु की जानकारी समय पर नहीं हो सकी है क्योंकि पक्षकार ग्वालियर से दूर स्थित गुढ़ तहसील गुढ जिला रीवा में रहता है हो सकता है उसके विधिक वारिसान को प्रकरण चलने की जानकारी न रही हो, यदि अनावेदकगण को यह जानकारी है तब न्यायदान के लिये दिनांक 22-3-17 को दिये गये आवेदन में की गई मांग अनुसार प्रकरण रीवा केंप कोर्ट के लिये नियत कर दिया जावे जिससे वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जा सके।

अनावेदक क्र-2 के वारिसान के अभिभाषक ने बताया कि उन्होंने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 (2) सहपठित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत शपथ पत्र सहित आवेदन दिया है। दिनांक 10-3-2012 को आवेदक रामानंद की मृत्यु हो चुकी है एंव मृतक के विधिक वारिसान को 28-9-17 तक रिकार्ड पर नहीं लिया गया है इसलिये प्रकरण Abate है जिसे इसी-स्तर पर निरस्त किया जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनावेदक कमांक 2 की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3(2) सहपठित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक की मृत्यु 10-3-2012 को हुई है एंव उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये नियत समयावधि में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन एंव शपथ पत्र से आवेदक की मृत्यु दिनांक 10-3-2012 को हो चुकी है बहस के दिन अर्थात दिनांक 14-9-17 (5 वर्ष 6 माह) तक मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदक की ओर से पहल नहीं किये जाने के कारण प्रकरण Abate है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी Abate है। तद्नुसार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 502/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-7-2009 यथावत् रहेगा।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर